राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1367/2017

श्रीमती गीता देवी **–अपीलार्थी**

बनाम

1. संयुक्त निदेशक कृषि (प्रशासन), कृषि निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
2. उप निदेशक कृषि (प्रशासन), कृषि निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वैलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 03.10.2017

आदेश की दिनांक : 13.08.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी के पति की दिनांक 06.04.1965 से 28.02.1970 तक की गई वर्कचार्ज सेवा को पेंशन योग्य सेवा में गणना करने का आदेश दिया जावे और 33 वर्ष की अधिकतम सेवा मानते हुये पेंशन आदि का लाभ दिया जावे तथा पीपीओ, जीपीओ, सीपीओ संशोधित किये जावें एवं 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी दिलाये जाने के आदेश फरमाये जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी के पति की प्रथम नियुक्ति दिनांक 06.04.1965 को वर्कचार्ज मोहरर्र द्वितीय के पद पर वेतन श्रृंखला 65–1–70–90 में हुई और उन्हें मोहरर्र प्रथम के पद पर वेतन श्रृंखला 75–175 में पदोन्नति दी गई। दिनांक 28.02.1970 को सेवा समाप्त करते हुये

समायोजन हेतु जीएडी भेजा गया और दिनांक 21.08.1971 तक आदेशों की प्रतीक्षा में रहा। दिनांक 21.08.1971 के द्वारा परिवार नियोजन कल्याण कार्यकर्ता के पद पर समायोजन किया गया, जहां अपीलार्थी के पति ने दिनांक 29.08.1971 को कार्यभार ग्रहण किया और उसका कनिष्ठ लिपिक के पद पर कृषि सूचना प्रसार अधिकारी, जयपुर में स्थानांतरण कर दिया गया। आदेश दिनांक 02.01.1993 के द्वारा वरिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नति दी गई और दिनांक 31.07.2002 को अधिवार्षिकी आयु प्राप्त कर राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो गया। उनका कथन है कि अपीलार्थी के पति की वकचार्ज सेवा की गणना पेंशन में नहीं की गई, जो नियमानुसार की जानी चाहिए थी। जबकि माननीय उच्च न्यायालय व अन्य न्यायालयों ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि वकचार्ज की गई सेवा को भी पेंशन योग्य माना जाना चाहिये। माननीय उच्च न्यायालय ने आरएलआर 1986 पेज 24 इस्माइल खां बनाम राज्य में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी की सेवा भी पेंशन योग्य सेवा में शामिल की जानी चाहिये, परंतु अपीलार्थी के पति की वकचार्ज सेवा की गणना पेंशन प्रयोजन में नहीं की गई, जो उक्त न्यायिक विनिश्चयों एवं विधि के विरूद्ध है। उसे 30 वर्ष 11 माह 3 दिवस की सेवा के आधार पर अनुपातिक पेंशन दी जा रही है जबकि 33 वर्ष की सेवा का लाभ दिया जाना चाहिये।

अतः उक्त तर्कों के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी के पति की दिनांक 06.04.1965 से 28.02.1970 तक की गई वर्कचार्ज सेवा को पेंशन योग्य सेवा में गणना करने का आदेश दिया जावे और 33 वर्ष की अधिकतम सेवा मानते हुये पेंशन आदि का लाभ दिया जावे तथा पीपीओ, जीपीओ, सीपीओ संशोधित किये जावें एवं 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी दिलाये जाने के आदेश फरमाये जावें।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से अपील जवाब प्रस्तुत करते हुये यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी के पति दिनांक 01.03.1970 से 21.08.1971 तक आदेशों की प्रतीक्षा में रहना बताया गया किंतु इसकी पुष्टि हेतु कोई दस्तावेज संलग्न नहीं किये गये और न ही विभाग के पास कोई सूचना है। वकचार्ज कर्मी एवं आदेशों की प्रतीक्षा में रहने संबंधी कोई दस्तावेज नहीं होने के कारण उक्त सेवा अवधि की गणना पेंशन योग्य सेवा में नहीं की गई। वकचार्ज कर्मी की सेवायें पेंशन योग्य सेवाओं में सम्मिलित करने हेतु सही प्रतीत नहीं होता है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रस्तुत अपील में विचारणीय बिंदु यह है कि क्या अपीलार्थी द्वारा वर्कचार्ज कर्मचारी के रूप में की गई सेवा अवधि को पेंशन प्रयोजनार्थ गणना में शामिल की जायेगी। अपीलार्थी ने अपने प्रकरण के पक्ष में जो विधिक निर्णय प्रस्तुत किए है, जिसमें माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 11839/2016 श्री गोपाल गौड़ बनाम राजस्थान राज्य में पारित आदेश दिनांक 13.04.2018 में प्रतिपादित किया गया है कि :–

"In view of the above discussion, the writ petition filed by the petitioner is allowed. The respondents are directed to take into consideration the period from 09.05.1985 when the petitioner was appointed on temporary post for the purpose of calculating his qualifying service and grant him consequential benefits in accordance with law. Needful be done by the respondents within a period of two months."

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 897/1983 ईस्माइल खां बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में निर्णय दिनांक 18.11.1985 द्वारा निम्न अभिनिर्धारित किया है :–

"(b) Service & employment-Pension- Qualifying service-Employee appointed on daily wages basis towards anticipated work-Held, his service during which he remained as daily wages employee falls within definition of qualifying service for pension-(Raj. Service Rules, R. 179-Pension-Qualifying Service). (Paras 6 &7)"

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 2482/1992 दुर्गा प्रसाद शर्मा बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में निर्णय दिनांक 19.01.1993 में यह अभिनिर्धारित किया है :–

"Constitution of India, Arts. 16, 41; Rajasthan Service Rules, 1951, Rule 179-Computation of period of service for purpose of pension-Period of work-charged service to be counted as pensionable service-Petitioner's service on work-charged post rendered for five years not counted as pensionable service- Direction issued for redetermination of petitioner's service by including period spent on work-charged post."

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ए.आई.आर 2010 सुप्रीम कोर्ट 1467 पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड एवं अन्य बनाम नराता सिंह एवं अन्य सिविल अपील संख्या 2384/2007 में पारित निर्णय दिनांक 23.02.2010 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है :–

"(A) Constitution of India, Arts. 16, 309 -Electricity (Supply) Act (54 of 1948), S. 79 (c) - Pension - Qualifying service-Employee of Electricity Board -- Work charged service rendered by him under State Govt. - To be considered while computing qualifying service under Board."

इस अधिकरण में दायर अपील संख्या 4366/2010 नेमीचन्द जैन बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 27.07.2021 में यह निर्णय पारित किया है कि :–

"(iv) After having heard both the counsels of the appellants and the respondents and having gone through the three decisions submitted by the appellant in support of his contentions and keeping in view the facts as submitted in the appeal memo and reply to it, we are of the view that because the appellant had been working regularly since 09.12.1986 as admitted by the respondents also, the qualifying services for pension would be counted from that date only namely - 9-12-1986. Accordingly revised PPO, CPO and GOP may be issued and an interest at the rate of 9% be paid on arrears after 2010 as permitted by the RCS Pension Rules 1996."

वित्त विभाग द्वारा जारी मेमोरेन्डम दिनांक 13.07.1994 व जीएसआर 112–1 में भी वर्क चार्ज सेवा को पेंशन प्रयोजनार्थ गणना में शामिल करने का प्रावधान किया गया है। अतः माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय के द्वारा पारित निर्णयों की रोशनी में अपीलार्थी अपनी वर्क चार्ज सेवा को पेंशन प्रयोजनार्थ सेवा अवधि में सम्मिलित करवाये जाने का अधिकारी है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील स्वीकार की जाती है। प्रत्यर्थी विभाग को आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी की वर्क चार्ज के रूप में की गई सेवा अवधि दिनांक 06.04.1965 से 28.02.1970 को उसकी पेंशन योग्य सेवा की गणना में नियमानुसार शामिल किया जावे और उसके अनुरूप पीपीओ, जीपीओ एवं सीपीओ संशोधित किया जावे और एरियर राशि पर 9 प्रतिशत ब्याज दिया जावे।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)